संख्या- 02/2023/200/30-2-2023-2(19)/2007टी0सी0

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 06 अप्रैल, 2023**

विषयः उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्मिकों को 01-01-2023 से 28 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-946एफ/22-499एफ/74/21 दिनांक 03-06-2022 के अनुक्रम में अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति (एम्पावर्ड कमेटी) की बैठक दिनांक 15-03-2023 के कार्यवृत्त संख्या-330/44-1-2023 दिनांक 20-03-2023, जो आपकों भी पृष्ठांकित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में अधिकृत समिति (एम्पावर्ड कमेटी) द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) उ0प्र0 सड़क परिवहन निगम के कार्यरत नियमित कार्मिकों को सातवां वेतनमान में दिनांक 01-01-2023 से मूलवेतन का 28 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

(2) निगम के कार्यरत नियमित कार्मिकों के लिए भविष्य में मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई किश्तों के भुगतान की अनुमति के लिए निगम पुनः प्रकरण अधिकृत समिति के समक्ष रखेगा।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में आने वाला वित्तीय व्यय-भार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता देय न होगी।

भवदीय,
ह0/-
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 02/2023/200(1)/30-2-2023-2(19)/2007टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को उनके पृष्ठांकन संख्या-330/44-1-2023 दिनांक 20-03-2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से ,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in